रेशमा देवी आदि **बनाम** शंकरलाल
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 70 सन् 2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/140

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.01.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि अप्रार्थी के द्वारा के द्वारा प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि को हडप करने की नियत से अपने पिता कुशालाराम की एक फर्जी व कूटरचित तथा शून्य अवैध वसीयत दिनांक 05.02.2017 तहरीर करवाकर इन्तकाल संख्या 819 दिनांक 21.09.2020 विधि विरूद्व अपने नाम दर्ज करवा लिया। इसलिए चक 34 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 13/10 के मुरब्बा नम्बर 30 में अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल पुत्र कुशालाराम के नाम दर्ज कुल 2.0240 हेक्टैयर भूमि की मूलवाद के निर्णय तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत भूमि अप्रार्थी शंकरलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिस पर अप्रार्थी का पिछले 20 वर्षो से बेरोकटोक, बिना किसी दखलअंदाजी के कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित वसीयत फर्जी, कूटरचित, शून्य, अवैध नहीं है। सरपंच ने कानूनी प्रक्रिया अपनाकर राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप वसीयत का इन्तकाल अप्रार्थी के नाम दर्ज किया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। लिहाजा वादगत भूमि में से प्रार्थीगण को हक हिस्सा प्राप्त होना है या नहीं यह अपील के निर्णय में तय होना है। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बनना प्रतीत होते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का पारित किया जाता है कि वे चक 34 एफ की जमावन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 13/10 के मुरब्बा नम्बर 30 में अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल पुत्र कुशालाराम के नाम दर्ज कुल 2.024 हेक्टैयर भूमि की ताफैसला अपील मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्वर से कम होकर मूल अपील के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)	